UPBS120000611996

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (ATUL KUMAR NAYAK),

(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02289

मूलवाद सं० 555/1996

रामलाल बनाम रामधन

11.11.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 181 क[2] एवं 192 क[2] के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 181 क[2]

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 181 क[2] प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 1 रामधन की मृत्यु दिनांक 14.02.2017 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिसान उनके पुत्रगण राजकुमार व राजेन्द्र तथा पत्नी जशोदा देवी हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक वारिसों को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 181 क[2] पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 181 क[2] प्रतिवादी सं० 1 रामधन की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके विधिक वारिसों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। प्रस्तावित वारिसों पर तामीला जरिए प्रकाशन पर्याप्त है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बहुलता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 181 क[2] स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 181 क[2] स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 192 क[2] लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 192 क[2] पर सुना–

निस्तारण प्रार्थनापत्र 192 क[2]

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 192 क[2] प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दौरान मुकदमा वादी सं० 1/2 रामदास की मृत्यु दिनांक 23.12.2018 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिस उनके एकमात्र पुत्र रमेश हैं। मृतक की पत्नी का देहान्त मृतक के जीवनकाल में हो चुका है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक वारिस को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 192 क[2] पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 192 क[2] वादी सं० 1/2 रामदास की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके विधिक वारिस को वादपत्र में प्रतिस्थापित किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। प्रस्तावित वारिस जरिए वकालतनामा हाजिर हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बहुलता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 192 क[2] स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 192 क[2] स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 30.11.2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।